न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 75/2021 दायर दिनांकः 05/04/2021

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 41 वर्ष पुत्र गोगराज जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट व
सपठित धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव।

आदेश दिनाकः 16/12/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल भौंरा तहसील अटरू में खाता संख्या 9 के खसरा नं0 409 का रकबा 0.81 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 खाता दर्ज चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी संवत 2071—2074 संलग्न है जो काबिले गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार होते हुए भी पटवारी हल्का ने गजेन्द्र कुमार दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड मं अंकन करवाने का अधिकारी है। जिससे वादी को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में गजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार की घोषणा करवाकर खाते में दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। वादी ने आज दिनांक 16.03.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब के यहां नाम दुरूस्ती बाबत प्रार्थनना पत्र प्रस्तुत किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। वादी के आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक के दस्तावेजात में राजेन्द्र कुमार दर्ज होने से

बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादी को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 16.03.2021 को खाते की नकले प्राप्त करने पर तथा श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम भौंरा तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायलय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश क निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम गजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार घोषित किया जाकर खाते को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** का शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल भौंरा तहसील अटरू में खाता संख्या 9 के खसरा नं0 409 का रकबा 0.81 है0 में प्रार्थी का नाम गजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार घोषित किया जाकर खाते को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2071—2074 ग्राम एवं माल भौंरा तहसील अटरू में खाता संख्या 9 के खसरा नं0 409 का रकबा 0.81 है0 में वादी का नाम

गजेन्द्रकुमार पुत्र गोगराज शामलाती खाता दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र गोगराज दर्ज है। ग्राम पंचायत सकतपुर के प्रमाण पत्र दिनांक 06.09.2021 अनुसार प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र गोगराज है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल भौंरा तहसील अटरू में खाता संख्या 9 के खसरा नं0 409 का रकबा 0.81 है0 में सहखातेदार गजेन्द्रकुमार पुत्र गोगराज के स्थान पर राजेन्द्र कुमार उर्फ गजेन्द्र कुमार पुत्र गोगराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्जा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 75/2021

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 41 वर्ष पुत्र गोगराज जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट व
सपठित धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....**X**................ रूबरू..............**X**..............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव।
मिनजानित मुदई रूबरू ....**X**..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल भौंरा तहसील अटरू में खाता संख्या 9 के खसरा नं0 409 का रकबा 0.81 है0 में सहखातेदार गजेन्द्रकुमार पुत्र गोगराज के स्थान पर राजेन्द्र कुमार उर्फ गजेन्द्र कुमार पुत्र गोगराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**..................... मुबालिक ....**X**............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......**X**........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16/12/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)